भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2338

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

30 अग्रहायण, 1944 (शक)

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नियम

2338. श्री देवजी पटेल :

श्री राजकुमार चाहर :

श्री एन. रेड्डप्प :

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री दिलीप शइकीया :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा आईटी अधिनियम के अंतर्गत नए नियम बनाकर गेमिंग प्लेटफॉर्म की सामग्री और अन्य विनियमों को प्रशासित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में लगी कंपनियों/संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है और इस तरह के जुए से उनकी कमाई कितनी है; और

(ड.) ऑनलाइन जुए के इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए या किए जा सकने वाले वैधानिक साधन कया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ड.): सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट की विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ भारतीयों के लिए ऑनलाइन गेम सहित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म माध्यस्थों सहित पेश की जाने वाली ऑनलाइन गेम सम्पर्क में आने की संभावना भी बढ़ गई है,जिसमें ऐसी ऑनलाइन गेम भी शामिल है जो हानिकारक है या कानून का उल्लंघन करते हैं तथा इसमें भी वृद्धि हुई है।

इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 बनाए हैं। ये नियमावली माध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं, जिनमें ऑनलाइन गेम की पेशकश करने वाले माध्य्स्थों शामिल हैं,ताकि वे अपेक्षित सावधानी अनुपालन कर सके और इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि वे इस तरह अपेक्षित सावधानी का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी या उनके द्वारा होस्ट किए गए डेटा या संचार लिंक के लिए कानून के तहत अपने दायित्व से अब छूट नहीं मिलेगी। इस तरह के अपेक्षित सावधानी में निम्न शामिल हैं:

(i) अपने उपयोगकर्ता को ऐसी किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास करने के लिए जो बच्चे के लिए हानिकारक है, किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसाता है, जुए को प्रोत्साहित करने से संबंधित है, या लागू समय में किसी भी कानून का उल्लंघन करता है;

(ii) उपर्युक्त के उल्लंघन पर स्वैच्छिक आधार परऔर उचित सरकार या इसकी एजेंसी से शिकायत या अदालती आदेश या नोटिस प्राप्त होने पर वास्तविक ज्ञान पर,तत्कालीन प्रवर्तमान क़ानून के तहत प्रतिबंधित समय के लिए गैरकानूनी सूचना को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना;

(iii) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर हल करना;

(iv) कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर कानून के तहत रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए सूचना या सहायता प्रदान करना।

ऑनलाइन गेमिंग में शामिल कंपनियों/संस्थाओं की संख्या और आय के विवरण के बारे में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

******